आदेश की क्रम–संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी की हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	उपायुक्त का न्यायालय, जामताड़ा। **Confiscation Case No. 01/2016-17** **जनाल अंसारी बनाम सरकार**	
25.6.19	प्रस्तुत वाद प्राधिकृत पदाधिकारी–सह– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के वाद Confiscation Case No. 03/2015 सरकार बनाम जनाल अंसारी में दिनांक–12.04.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध अपील है। वाद संक्षेप में यह है कि वन क्षेत्र पदाधिकारी जामताड़ा के पत्रांक– 38 दिनांक– 30.04.2015 के प्रतिवेदन के आधार पर प्राधिकृत पदाधिकारी–सह– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के न्यायालय में दायर किया गया। उक्त प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक–30.04.2015 को 09:00 बजे पूर्वाह्न बीट ऑफसर द्वारा अन्य वन अधिकारियों की उपस्थिति में 50 cft चिराई की गई लकड़ी लदा हुआ एक Bolero Pick- up Van No. JH-11M-7969 गश्त करते हुए करमाटाँड़ मिशन पथ पर पकड़े गये। गाड़ी को रोकने के पश्चात् चालक भाग गया। बीट ऑफसर के द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन) की धारा– 41 एवं 42 के तहत वाहन एवं लदे हुए चिराई को जब्त करते हुए अधिहरण वाद की कार्यवाही प्रारम्भ किया गया। इसकी सूचना अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी जामताड़ा को पत्रांक– 739 दिनांक– 12.05.2015 के द्वारा सूचित किया गया। अपीलकर्त्ता का कहना है कि भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन) की धारा– 52 के तहत वन क्षेत्र पदाधिकारी या अन्य पुलिस ऑफसर के उपनिरीक्षक के पद का न्यून पदाधिकारी द्वारा वन सम्पदा एवं वाहन का जब्ती नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार बीट ऑफसर द्वारा चिराई लकड़ी एवं लदे हुए वाहन का जब्ती करना गैर कानुनी है एवं चिराई लकड़ी का अधिहरण किया जाना, नियम के विरूद्ध है। अपीलकर्त्ता इस गाड़ी Bolero Pick- up Van No. JH-11M-7969 का पंजीकृत मालिक है। यह वाहन चालक के अधीन एवं उनके देख–रेख में रखा गया था। मालिक के बिना सम्पर्क किए ही चालक द्वारा भाड़े हेतु ग्राहक से सम्पर्क किया जाता था। इस प्रकार भाड़े संबंधी कोई जानकारी अपीलकर्त्ता को नहीं थी। यह लकड़ी Rupnarayanpur Saw Mill West Bengal से खरीदा गया। विज्ञ सरकारी अधिवक्ता को सुना। अभिलेख में संलग्न कागजातों, अपील आवेदन एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलकर्त्ता द्वारा भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन) की धारा– 41 की धारा–2(4)(a) के तहत वैध ट्रांजित परमिट प्रस्तुत नहीं किया गया। गाड़ी के मालिक द्वारा चालक के भरोसे में वाहन को भाड़े पर दिया गया था। वाहन में माल ढोने हेतु मालिक एवं चालक के बीच कोई एकरारनामा/शर्तनामा भी प्रस्तुत नहीं गया कि चालक द्वारा गैरकानुनी मालों का ढुलाई नहीं किया जायेगा। गाड़ी मालिक द्वारा ट्रांजिट परमिट प्रस्तुत नहीं किया गया। वाहन के मालिक के द्वारा वाहन के उपयोग करने हेतु वन अपराध को रोकने में कोई उचित एवं आवश्यक सावधानी का अनुपालन नहीं किया गया। इस प्रकार भारतीय वन अधिनियम 1927 (बिहार संशोधन) के धारा–52 (5) के तहत् इस वाद में अपीलकर्त्ता को राहत नहीं किया जा सकता है। अतः विज्ञ प्राधिकृत पदाधिकारी–सह– वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जामताड़ा के वाद Confiscation Case No. 03/2015 सरकार बनाम जनाल अंसारी में दिनांक–12.04.2016 को पारित आदेश में कोई त्रुटि प्रतीत नहीं होता है एवं उनके आदेश को यथावत रखते हुए अपीलकर्त्ता के आवेदन खारिज किया जाता है। 25/6/19 उपायुक्त जामताड़ा।	Seen A.G. 16/7/19 dt-16-7-19